न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 31/2021

दायरा दिनांक :— 08.12.2021

वादीः—

1. उदाराम पुत्र श्री चमनाजी, जाति प्रजापत निवासी देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. जगदीश कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल जाति कुमावत, निवासी कमल तलाई कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द (राज)
2. रतनी देवी पुत्री श्री मोहनलाल जाति कुमावत, निवासी कमल तलाई कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द (राज)
3. ग्राम पंचायत देसूरी जरिये सरपंच देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली

उपस्थितिः—

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ग्राम पंचायत देसुरी के आदेश दिनांक 06.08.2021 को ग्राम देसुरी के म्युटेशन संख्या 3534 को स्वीकृत किया, उस आदेश को निरस्त फरमाने बाबत्।

—:निर्णयः— दिनांक 10/01/2022

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देसुरी के खाता संख्या 273 व खाता संख्या 1134 जेमाबन्दी सवत् 2073 से 2076 में वर्णित भूमि में बस्तीराम पुत्र श्री चिमनाराम, जाति कुमावत का 1/16 हिस्सा था, जैसा कि म्यूटेशन के क्रम संख्या 6 में उल्लेखित है, लेकिन हल्का पटवारी ने क्रम संख्या 8 पर रेस्पोडण्ट संख्या 1 व 2 का 1/32 — 1/32 दोनो का रेकर्ड में दर्ज किया, जो म्यूटेशन के अंतिम पृष्ठ पर जो वंशावली अर्थात सजरा जो बनाया है वो पूर्णतया गलत है। पुष्पा को बस्तीराम की लड़की बतायी है जो सरासर गलत है बल्कि बस्तीराम की लड़की भंवरी थी, जिसका विवाह कांकरोली में नानाराम प्रजापत के साथ हुआ था और भंवरी मरने पर उनकी बेटी पुष्पा है और पुष्पा के पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जगदीश व पुत्री रतनी है। वेसे बस्तीरामजी का देहान्त वर्ष 2003 में हो गया था, उनकी पत्नी अम्बाबाई का देहान्त वर्ष 2010 में हो गया तथा पुष्पा की मृत्यु 1992 में हो गयी, पुष्पा के पति मोहनजी का करीब एक वर्ष पहले देहान्त हुआ है। पुष्पा के पति मोहनलालजी ने अपीलाण्ट के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा आपसी इकरारनामा जरिये तारीख 12.09.2011 को उक्त जमीन संबधी कब्जा सुपुर्द करते हुए लिखत लिखा गया, जिसमें यह स्पष्ट लिखा था बस्तीरामजी के हिस्से की जो ग्राम देसुरी में सम्पत्ति है वह उदयराम व उदयराम के वारिशान की रहेगी, उसमें मोहनलाल व मोहनलाल के वारिशानों का कोई हक दखल वास्ता नही होगा तथा कांकरोली में कमल तलाई के पास जो मकान व बाड़ा है, जिसके पड़ौस पूर्व में शंकरजी कुमावत, पश्चिम में कजुजी कुमावत का मकान, उत्तर में आमरास्ता व दक्षिण में

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

सूर्यमलजी पालीवल का मकान है जो सम्पत्ति मोहनलाल के रहेगी। इस तरह लिखत अनुसार इस जमींन पर पुष्पा के वारिशान का कोई हक अधिकार नही रहता और वैसे भी अपीलाण्ट उदाराम बस्तीरामजी का भाई है व और भंवरी भी बस्तीराम की पुत्री थी, भंवरी के मरने पर पुष्पा उसकी पुत्री थी, लेकिन पुष्पा के पति ने अपने जीवनकाल में ही इस जमींन को आपसी इकरार के जरिये अपीलाण्ट के हक में सुपुर्द कर दी थी, ऐसी सुरत में इस तरह का म्युटेशन न तो स्वीकृत किया जा सकता था। यह म्युटेशन आपसी इकरारनामा के प्रतिकूल है व कब्जे के अभाव में भी ऐसा म्यूटेशन स्वीकृत नही किया जा सकता था, जिसे खारिज करना लाजमी है।

2. यह कि अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया जो नही देकर न्याय के मूलभूल सिद्धान्तों पर गहरा कुठाराघात किया है जो म्यूटेशन स्वीकृति आदेश खारिज करने योग्य है।

3. यह कि अपीलाण्ट बस्तीरामजी का पुत्र है, चूकि उनके विधिक वारिशान पुत्र पुत्री जीवित नही होने से कानूनी हक अपीलाण्ट के हक में निहित होना चाहिये था। रतनी व जगदीश तो पुत्री भंवरी के दोहिते है जो विधिवत् उत्तराधिकारी नही हो सकते है, इस कारण भी ऐसा म्यूटेशन गलत स्वीकृत किया है और रतनी व जगदीश को पुष्पा की संतान बतायी है जबकि पुष्पा बस्तीरामजी पुत्री नही है बल्कि भवरी की पुत्री है और भंवरी बस्तीरामजी की लड़की थी, इसलिये कानूनी अधिकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को गलत सजरा के आधार पर जो म्यूटेशन पारित किया है वो खारिज किये जाने योग्य है।

4. यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने कोई म्यूटेशन स्वीकृत करने संबधी न तो मीटींग बुलाई, न ही कोरम बहुमत के जरिये प्रस्ताव ही लिया, केवल सरपंच द्वारा स्वीकृत होना बताया है। ऐसे म्यूटेशन को स्वीकृत करने का बिना प्रस्ताव के सरपंच का कोई अधिकारी नही था। इस कारण भी ऐसा म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने योग्य नही है और ऐसा म्यूटेशन खारिज करने योग्य है।

5. यह कि अपीलाधीन आदेश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी आपीलाण्ट को तब हुई, जब राजस्व अपील अधिकारी पाली के यहां रेस्पोडेण्ट जगदीश की ओर से अपील करके स्टे की प्रति दी गई। तब अपीलाण्ट ने तुरन्त प्रभाव से सम्बन्धित रेकर्ड हल्का पटवारी देसूरी के पास जाकर जानकारी ली और वहां नकल हेतु सूचना अधिकार के तहत आवेदन किया, तब हल्का पटवारी देसूरी ने दिनांक 30.11.2021 को म्यूटेशन की प्रतिलिपि दी, जिस पर सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट की हुई, जिससे ऐसा म्यूटेशन गलत सजरे के आधार पर स्वीकृत किया है। पुष्पा को बस्तीराम की पुत्री बतायी है, जबकि बस्तीराम जी पुत्री भंवरी थी, पुष्पा तो नानालाल की पुत्री है और भंवरी की पुत्री है। ऐसे गलत पुत्री बताकर जो म्यूटेशन भरकर स्वीकृत किया है जो देखने से अवैध है, जिसको कभी भी चुनौती दी जा सकती है और वैसे सरपंच ने स्वीकृत किया है जो अधिकार विहिन आदेश है। अपीलाण्ट वृद्ध व्यक्ति है, जो गांव में रहता है जो अनपढ व अशिक्षित है, जिसे कानून तकनीकी ज्ञान नही है साथ ही विकलांग है, म्यूटेशन में वर्णित भूमि अपीलाण्ट के पक्ष में इकरार के जरिये सुपुर्द की है और उसके बदले में अपीलाण्ट ने मोहनलाल के पक्ष में कांकरोली में मकान व बाड़ा अपने हक का सुपुर्द किया है, ऐसी सूरत में अपीलाण्ट के वैधानिक हक अधिकारों को इस म्यूटेशन के जरिये हनन किया है, जिस म्यूटेशन का चुनौती देने का अपीलाण्ट को वैधानिक हक है। इस कारण अपीलाण्ट को जानकारी से उक्त अपील म्याद में शुमार फरमावें।

6. यह कि अन्य उजरात बर वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अतः अपीलाण्ट का अपील पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील मय व्यय स्वीकार फरमावे तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा देसुरी के म्यूटेशन संख्या 3534 को तारीख 06.08.2021 को स्वीकृत किया है, उसे मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

7. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

8. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को जारी नोटिस तहसीलदार राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने नोटिस लेने से मना किया जो मूल ही तहसीलदार राजसमंद द्वारा अदम तामील इस न्यायालय को भिजवाये गये, तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 3 को जारी नोटिस तामिल सुदा न्यायालय को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नोटिस जारी किये जाने के बावजुद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 अनुपस्थित जिससे जाहिर होता हैं कि रेस्पोडेन्टस 1 से 3 उक्त प्रकरण के निस्तारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं तथा न ही अपने पक्ष में किसी प्रकार का जवाब पेश करना चाहते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त भी वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकिय अधिवक्ता उपस्थित। राजकिय अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया जिस पर अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की।

9. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकिय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

10. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने अपील मिमो में वर्णित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम देसुरी के खाता संख्या 273 व खाता संख्या 1134 जमाबन्दी सवत् 2073 से 2076 में वर्णित भूमि में बस्तीराम पुत्र श्री चिमनाराम, जाति कुमावत का 1/16 हिस्सा था, जैसा कि म्यूटेशन के क्रम संख्या 6 में उल्लेखित है, लेकिन हल्का पटवारी ने क्रम संख्या 8 पर रेस्पोडण्ट संख्या 1 व 2 का 1/32 – 1/32 दोनो का रेकर्ड में इन्द्राज दर्ज किया, जो म्यूटेशन के अंतिम पृष्ठ पर जो वंशावली अर्थात सजरा जो बनाया है वो पूर्णतया गलत है। पुष्पा को बस्तीराम की लड़की बतायी है जो सरासर गलत है बल्कि बस्तीराम की लड़की भंवरी थी, जिसका विवाह कांकरोली में नानाराम प्रजापत के साथ हुआ था और भंवरी मरने पर उनकी बेटी पुष्पा है और पुष्पा के पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जगदीश व पुत्री रतनी है। वेसे बस्तीरामजी का देहान्त वर्ष 2003 में हो गया था, उनकी पत्नी अम्बाबाई का देहान्त वर्ष 2010 में हो गया तथा पुष्पा की मृत्यु 1992 में हो गयी, पुष्पा के पति मोहनजी का करीब एक वर्ष पहले देहान्त हुआ है। पुष्पा के पति मोहनलालजी ने अपीलाण्ट के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा आपसी इकरारनामा जरिये तारीख 12.09.2011 को उक्त जमीन संबधी कब्जा सुपुर्द करते हुए लिखत लिखा गया, जिसमें यह स्पष्ट लिखा था बस्तीरामजी के हिस्से की जो ग्राम देसुरी में सम्पत्ति है वह उदयराम व उदयराम के वारिशान की रहेगी, उसमें मोहनलाल व मोहनलाल के वारिशानों का कोई हक दखल वास्ता नही होगा तथा कांकरोली में कमल तलाई के पास जो मकान व बाड़ा है, जिसके पड़ौस पूर्व में शंकरजी कुमावत, पश्चिम में कजुजी कुमावत का मकान, उत्तर में आमरास्ता व दक्षिण में सूर्यमलजी पालीवल का मकान है जो सम्पत्ति मोहनलाल के रहेगी। इस तरह लिखत अनुसार इस जमींन पर पुष्पा के वारिशान का कोई हक अधिकार नही रहता और वैसे भी अपीलाण्ट उदाराम बस्तीरामजी का भाई है व और भंवरी भी बस्तीराम की पुत्री थी, भंवरी के मरने पर पुष्पा उसकी पुत्री थी, लेकिन पुष्पा के पति ने अपने जीवनकाल में ही इस जमींन को आपसी इकरार के जरिये अपीलाण्ट के हक में सुपुर्द कर दी थी, ऐसी सुरत में इस तरह का म्युटेशन न तो स्वीकृत किया जा सकता था। यह म्युटेशन आपसी इकरारनामा के

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

प्रतिकूल है व कब्जे के अभाव में भी ऐसा म्यूटेशन स्वीकृत नही किया जा सकता था, जिसे खारिज करना लाजमी है।

द्वितिय तर्क दिया कि अपीलाण्ट बस्तीरामजी का पुत्र है, चूकि उनके विधिक वारिशान पुत्र पुत्री जीवित नही होने से कानूनी हक अपीलाण्ट के हक में निहित होना चाहिये था। रतनी व जगदीश तो पुत्री भंवरी के दोहिते है जो विधिवत् उत्तराधिकारी नही हो सकते है, इस कारण भी ऐसा म्यूटेशन गलत स्वीकृत किया है और रतनी व जगदीश को पुष्पा की संतान बतायी है जबकि पुष्पा बस्तीरामजी पुत्री नही है बल्कि भवंरी की पुत्री है और भंवरी बस्तीरामजी की लड़की थी, इसलिये कानूनी अधिकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को गलत सजरा के आधार पर जो म्यूटेशन पारित किया है तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने कोई म्यूटेशन स्वीकृत करने संबधी न तो मीटींग बुलाई, न ही कोरम बहुमत के जरिये प्रस्ताव लिया, केवल सरपंच द्वारा स्वीकृत होना बताया है। ऐसे म्यूटेशन को स्वीकृत करने का बिना प्रस्ताव के सरपंच का कोई अधिकारी नही था। इस कारण भी ऐसा म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने योग्य नही है और ऐसा म्यूटेशन खारिज करने योग्य है।

अन्त में अपीलाण्ट के विद्धान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट वृद्ध व्यक्ति है, जो गांव में रहता है जो अनपढ व अशिक्षित है, जिसे कानून तकनीकी ज्ञान नही है साथ ही विकलांग है, म्यूटेशन में वर्णित भूमि अपीलाण्ट के पक्ष में इकरार के जरिये सुपुर्द की है और उसके बदले में अपीलाण्ट ने मोहनलाल के पक्ष में कांकरोली में मकान व बाड़ा अपने हक का सुपुर्द किया है, ऐसी सूरत में अपीलाण्ट के वैधानिक हक अधिकारों को इस म्यूटेशन के जरिये हनन किया है, जिस म्यूटेशन का चुनौती देने का अपीलाण्ट को वैधानिक हक है। इस कारण अपीलाण्ट को जानकारी से उक्त अपील म्याद में शुमार फरमावें तथा अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमावे तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा देसुरी के म्यूटेशन संख्या 3534 जो दिनांक 06.08.2021 को स्वीकृत किया है, उसे खारिज फरमाया जावें तथा तहसीलदार देसूरी को प्रकरण प्रेषित कर निर्देशित किया जावे कि मौके एवं रेकर्ड की स्थिति अनुसार दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे।

11. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 3534 सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा दिनांक 06.8.2021 को स्वीकृत किया गया हैं। रेस्पोडेन्ट सख्या 4 द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का नामान्तरणकरण स्वीकृत नहीं किया गया हैं।

12. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करने संबधी न तो मीटींग बुलाई, न ही कोरम बहुमत के जरिये प्रस्ताव लिया। बिना प्रस्ताव के म्यूटेशन स्वीकृत करने का सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी को कोई अधिकार नहीं था। द्वारा केवल सरपंच द्वारा स्वीकृत होना बताया है। ऐसे म्यूटेशन को स्वीकृत करने का बिना प्रस्ताव के सरपंच का कोई अधिकारी नही था। पत्रावली में उपलब्ध आपसी इकरारनामा से भी यह जाहिर होता हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता ने अपने जीवनकाल में ही इस जमींन को आपसी इकरार के जरिये अपीलाण्ट के हक में सुपुर्द कर दी थी, इस प्रकार यह म्युटेशन आपसी इकरारनामा के प्रतिकूल है व कब्जे के अभाव में ऐसा म्यूटेशन स्वीकृत नही किया जा सकता था, इस कारण भी ऐसा म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने योग्य नही था। अतः सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3534 दिनांक 06.8.2021 कानून की मंशा के विपरित स्वीकृत किया जाना प्रतित होता हैं।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील स्वीकार की जाती हैं। सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3534 दिनांक 06.08.2021 को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 3534 दिनांक 06.8.2021 को अपास्त किया जाता हैं। तहसीलदार देसूरी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की पूर्ण जांच कर मूल राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थीति अुनसार दोनों पक्षों सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देने के उपरान्त नियमानुसार कानून संगत पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही की जावें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार, देसूरी को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति. जिला कलक्टर (सीकित)
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 10/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीकित)
पाली (राज.)